DFA

पत्रांक 15/पी 5–01/2016 98 128

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 20/03/2017

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की राशि कुल रू0 6,60,00,000/– (छः करोड़ साठ लाख) मात्र की अग्रिम निकासी हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57 दिनांक 26.12.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा राम दयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के आधारभूत संरचना विकास हेतु केन्द्रांश के रूप में रूपये 6,60,00,000/– (छः करोड़ साठ लाख मात्र) तथा राज्यांश के रूप में रूपये 4,40,00,000/– (चार करोड़ चालीस लाख मात्र) अर्थात कुल रूपये 11,00,00,000/– (ग्यारह करोड़ मात्र) व्यय/विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. स्वीकृत की गई गई राशि में से केन्द्रांश की राशि रूपये 6,60,00,000/– (छः करोड़ साठ लाख मात्र) के व्यय का विकलन "मुख्य शीर्ष – 4202 – शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष 01 – सामान्य शिक्षा, लघुशीर्ष 203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, मांग संख्या 21, उपशीर्ष 0207 राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड़ P4202012030207 विषय शीर्ष 5301 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत किया जाना है तथा राज्यांश की राशि रूपये 4,40,00,000/– (चार करोड़ चालीस लाख मात्र) के व्यय विकलन "मुख्य शीर्ष – 2202 – सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102 विश्वविद्यालयों को सहायता, मांग संख्या 21, उपशीर्ष 0323 राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान, विपत्र कोड़ P2202031020323 विषय शीर्ष 3105 एवं 3106 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण/वेतनादि के अलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जाना है।

3. उक्त स्वीकृत गई राशि में से केन्द्रांश की राशि रूपये 6,60,00,000/– (छः करोड़ साठ लाख) मात्र की निकासी ए0सी0 विपत्र पर अग्रिम रूप से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत की गई राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा (शिक्षा विभाग) द्वारा नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से करके एकमुश्त बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव–सह–राज्य परियोजना निदेशक को उपलब्ध

127

कराई जाएगी जो इस राशि का व्यय विभागीय निदेश के आलोक में करेंगे। स्वीकृत की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को विहित प्रपत्र (BTC FORM 42A) में विभाग में उपलब्ध कराया जाएगा।

5. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 57 दिनांक 26.12.2016 में वर्णित अन्य शर्त्तें यथावत रहेंगी।

6. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है।

7. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभगीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

20.3.17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–01/2016 98 पटना, दिनाक 20/03/2017

प्रतिलिपि –विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंड़ल सचिवालय विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना/ राज्य परियोजना निदेशक–सह–सदस्य सचिव, राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद्, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुल सचिव, बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर/ प्रधानाचार्य, राम दयालु सिंह महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 05 एवं 15 एवं रोकड़पाल, उच्च शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.3.17

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–01/2016 98 पटना, दिनाक 20/03/2017

प्रतिलिपि –प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

20.3.17

सरकार के उप सचिव